न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/622

1. गिरधारीलाल पुत्र जोधा,
2. सुखदेवी पत्नी जोधा,
   समस्त जाति जाट, निवासीगण खेदडो की ढाणी तारपुरा, तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
2. तहसीलदार, तहसील सीकर, जिला सीकर, राजस्थान।
3. द्वारका प्रसाद पुत्र लिक्ष्मण,
4. मूलचन्द पुत्र भगवाना,
5. मोहनलाल पुत्र भगवाना,
6. गोमाराम पुत्र पाला,
7. रामेश्वर पुत्र पाला (मृतक),
   7/1. बोदी पत्नी स्व0 रामेश्वर,
   7/2. दयाराम पुत्र स्व0 रामेश्वर,
   7/3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रामेश्वर (मृत),
   7/3/1. श्रीमती मन्जु देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश (पुत्रवधु),
   7/3/2. अंकित पुत्र स्व0 ओमप्रकाश (पौत्र),
   7/3/3. पूजा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश (पौत्री),
   7/3/4. सुनिता पुत्री स्व0 ओमप्रकाश (पौत्री),
   7/4. सुभिता पुत्री स्व0 रामेश्वर,
8. जीता पुत्र हरदेवा,
9. भींवा पुत्र हरदेवा,
10. रामलाल पुत्र सांवलराम,
11. सुल्तान पुत्र हरदेवा,
12. हरलाल पुत्र हरदेवा,
13. रामचन्द्र पुत्र लिक्ष्मण,
14. विधाधर पुत्र लिक्ष्मण,
15. नेमीचन्द पुत्र जीवण,
16. बनवारी पुत्र जीवण,
17. कमला पुत्री महावीर,
18. प्रियंका पुत्री महावीर,
19. सीमा पुत्री महावीर,
20. गीता पत्नी महावीर,
21. हरफूल पुत्र जीवण,
22. श्रीचन्द पुत्र भगवानाराम,

    समस्त जाति जाट निवासीगण खेदडो की ढाणी तारपुरा तहसील व जिला सीकर।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने प्रकरण संख्या 574/2023 बउनवानी सरपंच ग्राम पंचायत तारपुरा बनाम तहसीलदार सीकर में निर्णय दिनांक 26.12.2023 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण में पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रभु सिंह राजावत, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।
3. श्री हरलाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 15, 16 व 18 से 21 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 6 व 7 के वारिसान एवं 8 से 14, 17, 22 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 24.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.12.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 11.07.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सीकर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक राजस्व/2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में दिनांक 20.12.2023 को पटवार हल्का तारपुरा की रिपोर्ट अनुसार आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् राजस्व ग्राम खेदडों की ढाणी, तहसील सीकर के भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 23 रकबा 0.0492 है0, ख0नं0 24 रकबा 0.0204 है0, ख0नं0 25 रकबा 0.0660 है0, ख0नं0 40 रकबा 0.0432 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.0078 है0 व खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0300 है0 में प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है तथा आवागमन हो रहा है। इस रास्ते का खातेदारों की आपसी सहमति व ग्राम पंचायत तारपुरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.12.2023 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीकर को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में राजस्व ग्राम खेदडों की ढाणी पटवार मण्डल तारपुरा, तहसील सीकर, जिला सीकर के आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 23 रकबा 0.0492 है0, ख0नं0 24 रकबा 0.0204 है0, ख0नं0 25 रकबा 0.0660 है0, ख0नं0 40 रकबा 0.0432 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.0078 है0 व खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0300 है0 में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार सीकर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रखने तथा जो भूमियां रहन दर्ज है, उनका रहन बदस्तूर रखने एवं आदेश में वर्णित किसी खसरा नम्बरान के लिए यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, मूर्तिमन्दिर के खसरे एवं बंजड भूमि हो तो उस खसरे के लिए उक्त आदेश अप्रभावी रखने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2023 पारित किये गये है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ

प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर दिनांक 26.12.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ पत्रावली विरूद्ध कानून है इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश प्रक्रिया का पालन किए बिना साईक्लो स्टाईल भाषा में विधि विरूद्ध पारित आदेश है जो निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पक्षकारों को बिना सुनवायी के इकतरफा आदेश पारित किया है। जिसमें पक्षकारों को न तो नोटिस जारी किए गए है तथा नही उन्हें जबाबदेही का अवसर दिया गया है। बल्कि मनमाने तौर पर पारित आदेश है। जो निरस्त होने योग्य है। एकतरफा तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के इस तथ्य को मान रहा है कि उक्त रास्ता कटाण हेतु सभी पक्षकार सहमत नही है जो किस प्रकार माना गया है का भी कोई कारण अपने आदेश में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही वर्णित किया है तथा ना ही इस बात का कोई कारण है कि जब कुछ पक्षकार सहमत नही है तो उक्त आदेश पारित करने की माननीय अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यकता क्यों हुई ? फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो कानूनन खारिज होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप (6) विभाग राज. के परिपत्र 3 (2)राज.6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 16.08.2016 के तहत है जिसमें पुराने प्रचलित कदीमी रास्तों को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का प्रावधान है न कि नये रास्ते व प्रस्तावित नये रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का प्रावधान है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर भंयकर कानूनी भूल की है इसलिए आदेश निरस्त होने योग्य है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश धोखेबाजी से खाली कागजों पर हस्ताक्षर लेकर उन पर सरपंच के आवेदन व मौका रिपोर्ट पर पारित आदेश है जो हस्ताक्षर पक्षकारों को धोखे में रखकर प्राप्त किया गया आदेश है। जो आरम्भ से ही शून्य प्रभावहीन है। अतः माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) में नया रास्ता कायम करने हेतु प्रावधान है जिसमें कृषि भूमि में आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम दूरी का नया रास्ता कायम करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है जिसमें रास्ते में काम आने वाली जमीन पेटे या तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि मुआवजे के तौर पर देने का प्रावधान है या रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान है तथा उक्त रास्ता 251 (क) के तहत भी उचित प्रक्रिया अपनाकर ही आदेश पारित किया जा सकता है। किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर रास्ते को प्रचलित बताकर नया रास्ता विधि विरूद्ध कायम करने का आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय में आदेश पारित करने के दौरान मात्र एक आवेदन जो लाईनदान रजिस्टर के पन्ने पर लिखित है उसके अलावा रास्ते के संबंध में पुराना प्रचलित रास्ता होने के संबंध में न तो कोई दस्तावेज है तथा ना ही किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त रास्ता पुराना कदीमी प्रचलित होने के तथ्य के संबंध में सशपथ बयान है तथा ना ही किसी पक्षकार की उपस्थिति है तथा ना ही इस तथ्य की जांच की गयी है कि जो आवेदन पर हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर असली व्यक्तियों के है या कुछ अन्य लोगों द्वारा कारित हस्ताक्षर है। खेती देवी का भी अंगूठा निशानी पटवारी की जांच रिपोर्ट में है जो खेती उक्त अंगूठा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निशानी के लगभग 5 साल पूर्व मर चुकी थी फिर उक्त खेती देवी का अंगूठा क्यो है ? इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि उक्त फर्जी अंगूठे हस्ताक्षर किसके द्वारा कारित का कोई प्रमाण नही है फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित कर भंयकर कानूनी भूल की है। इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

अपीलांटस के खेत में ना तो मौके पर कभी भी कोई रास्ता पूर्व में रहा है तथा ना ही अब चालू है बल्कि प्रस्तावित रास्ता दिखाकर राजस्व रिकार्ड प्रचलित बताकर दर्ज करने का विधि विरूद्ध आदेश दिया गया है। इसलिए उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय न्यायालय से उक्त आदेश पारित करवाने हेतु खसरा नम्बर 23, 24, 25 के खातेदारों ने षडयंत्र रचकर नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में पुराना प्रचलित बताकर दर्ज करवाया है उक्त खातेदारों के खेतों में आने जाने हेतु पूर्व खसरा नम्बर 17, 19, 20 की पूर्वी सीमा से होकर खसरा नम्बर 24 व 25 की पूर्वी सीमा से था। जिसको छिपाकर अपीलांटस की जमीनों को बर्बाद करने की गरज से बेईमानीपूर्वक अपने फायदे व अपीलांटस को नुकसान कारित करने के आशय से धोखे में रखकर अपीलांटस के खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे जिन्हें बेईमानी व कपटपूर्वक आशय से रास्ते के आवेदन के रूप में परिवर्तित कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। जिनकी जांच भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गयी। इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस द्वारा बाला बाला साजसी तौर पर आदेश दिनांक 26.12.2023 पारित करवा रखा है जिसका ज्ञान अपीलांटस को कभी भी नही होने दिया। दिनांक 28.06.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 5 ने अपीलांट को कहा कि आपके खसरा नम्बर 22 की उतरी सीमा व पश्चिमी सीमा पर रास्ते हेतु पत्थर रोपने है तब अपीलांटस ने एतराज जताया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 5 ने कहा कि एसडीओ कोर्ट सीकर का फैसला हुआ है जिसमें रास्ते की खातेदारी आपके ही नाम है तब अपीलांटस द्वारा एसडीओ सीकर में मालूमात करने पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी हुई तब दिनांक 28.06.2024 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 01.07.2024 को दी गयी। इसलिए जानकारी के हिसाब से अपील अंदर मियाद है फिर भी देरी माफ किए जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है जो देरी मजबूरीवश हुई है जानबुझकर नही की गयी है। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश बउनवानी सरपंच ग्राम पंचायत तारपुरा बनाम तहसीलदार मु.नं. 574/2023 दिनांक 26.12.2023 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 15, 16 व 18 से 21 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.06.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार सीकर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक राजस्व/2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में दिनांक 20.12.2023 को पटवार हल्का तारपुरा की रिपोर्ट अनुसार आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् राजस्व ग्राम खेदडों की ढाणी, तहसील सीकर के भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 23 रकबा 0.0492 है0, ख0नं0 24 रकबा 0.0204 है0, ख0नं0 25 रकबा 0.0660 है0, ख0नं0 40 रकबा 0.0432 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.0078 है0 व खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0300 है0 में प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है तथा आवागमन हो रहा है। इस रास्ते का खातेदारों की आपसी सहमति व ग्राम पंचायत तारपुरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 20.12.2023 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीकर को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में राजस्व ग्राम खेदडों की ढाणी पटवार मण्डल तारपुरा, तहसील सीकर, जिला सीकर के आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 23 रकबा 0.0492 है0, ख0नं0 24 रकबा 0.0204 है0, ख0नं0 25 रकबा 0.0660 है0, ख0नं0 40 रकबा 0.0432 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.0078 है0 व खसरा नम्बर 17 रकबा 0.0300 है0 में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार सीकर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रखने तथा जो भूमियां रहन दर्ज है, उनका रहन बदस्तूर रखने एवं आदेश में वर्णित किसी खसरा नम्बरान के लिए यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, मूर्तिमन्दिर के खसरे एवं बंजड भूमि हो तो उस खसरे के लिए उक्त आदेश अप्रभावी रखने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2023 पारित किये गये है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2023 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के

अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। ग्राम पंचायत तारपुरा ने भी प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 08.12.2023 से उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की सहमति एवं अनापत्ति प्रदान की गयी है। उक्त प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक, पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा ट्रेस व खातेदारों की आपसी सहमती एवं सरपंच ग्राम पंचायत तारपुरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर